

३

M.P. State - NOC

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

अनुक्रम संख 73-४०/2006/20-३,

भोपाल, दिनांक 29-6-07

प्रति,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
प्रीत बिहार, नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था भोपाल गल्ली स्कूल, पैचटटी एयरपोर्ट रोड, भोपाल ₹५०००/- को सी. बी. एस. ई./छार्टिंग ब्रॉडबैंड. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापन्ति प्रमाण पत्र देने बाबत।

राज्य शारन द्वारा अशासकीय संस्था भोपाल गल्ली स्कूल, पैचटटी एयरपोर्ट रोड, भोपाल ₹५०००/- को सी. बी. एस. ई./छार्टिंग ब्रॉडबैंड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापन्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:-

१. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षण मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाए।

२. विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षार्कों को गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायें। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाए।

३. इन संस्थाओं के नियालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होय।

प्रियंका २५८

B

Birha

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी म.प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का वचन-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा।
5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना आनिवार्य होगा।
6. प्रदेश के छेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान भेला का आयोजन आदि में सहायोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेगे।
7. अग्रसक्रीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्दिष्ट शुल्क वथा-समय प्रकाशित किये जाएंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोधण नहीं किया जाएगा।
8. छात्र-छात्राओं को शार्लीओं में लगने वाले पुस्तकों एवं लेहन सामग्री खुली बाजार से ख्रिय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विक्रेता से ख्रिय करने की आवश्यता नहीं रहेगी।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अभिनंशमन चेत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी। तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने स्वीकारिता निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दो रुप्य अनुसार विद्यालय एवं वाहनों का ही उपयोग दिया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से इस द्वेष उपयोग दिये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे घटनाशील साधन ऐसे घरेलू रूप दी. दी. आदि से रखाया जायेगा।

निरीक्षक. उपर

- 3 -

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था की रेम्प की भवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रदेश देने से इनकार नहीं करेगी। इस संघीय में प्राप्त शिकायत यदि जिह्वा पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. संस्था के पुस्तकालय में जाति संघ के आधार पर ऐद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जाएगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

कृ. स. रम. *[Signature]* 6-807  
अवर सचिव

कृष्णकन क्रमांक एफ 73—  
प्रतिनिधि:-

/2006/20-3,

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक

1. आमुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म. प्र. भोपाल।  
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भोपाल. ३०५०००।  
3. प्राचार्य, अशासकीय शिक्षण संस्था- भोपाल गल्टी टक्कल, पंचवटी एथरपोर्ट रोड,  
भोपाल. ३०५०००।  
4. आर्डर बुक।
- की ओर सूचनार्थ सबै आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित।

अवर सचिव  
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

*Bhimsen*  
PRINCIPAL  
Bhopal Girls School